रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1974/कार्तिक 23, 1896
No. 290] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1974/KARTIKA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November 1974

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Clause (3) of Article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, item 18 shall be re-numbered as item 19 thereof and before the item as so re-numbered the following item shall be inserted, namely:—

"(18) All technical and administrative posts in or under—

(a) the Department of Space;

(b) the Space Commission, constituted by the resolution of the Government of India in the Department of Cabinet Affairs No. 83/1/1/72-CF dated the 1st June, 1972"

[No. 18/12/72-Ests(B)]

P. S. MAHADEVAN, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 465 (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची में, मद 18 को उसकी मद 19 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और ऐसे पुनः संख्यांकित मद के पूर्व निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(18) (क) अन्तरिक्ष विभाग,

(ख) भारत सरकार के मंत्रिमण्डल कार्य विभाग के संकल्प सं० 83/1/1/72 सी-एफ, तारीख 1 जून, 1972 द्वारा गठित, अन्तरिक्ष आयोग, में या उसके अधीन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पद ।" ।

[सं० 18/12/72-स्थापना-(ख)]

पी० एस० महादेवन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974